तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पप्पूराम बनाम राजेन्द्र कुमार दाता प्र.नं. – 152/2022	
22.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
31.07.2025	वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
152 / 2022	2022 / 258	18.11.2022	31.07.2025

उनवान प्रकरण

1. पप्पूराम दत्तक पुत्र श्योनाथ आयु 42 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी सामोता की तन अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान राजस्थान

—वादी—

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र परताराम आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी सामोता की तन अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री श्रवण कुमार यादव, एड0 प्रतिवादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. काश्त. अधि. 1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 919/684 रकबा 4.3349 हैक्टर व खसरा नम्बर 685 रकबा 0.03 हैक्टर तन ग्राम अजमेरी पटवारी हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 574 रकबा 4.75 हैक्टर है। उक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 574 रकबा 4.75 हैक्टर व खसरा नम्बर 573 रकबा 3.39 हैक्टर कुल किता–2 रकबा 8.14 हैक्टर तन ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का हिस्सा 89/203 दर हिस्सा 1/4 हिस्सा का रजि. विक्रय लेख दिनांक 09.02.2002 को वादी के दत्तक पिता श्योनाथ पुत्र नारायण के हक में पंजबद्ध करा दिया गया था। इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पदा का वादी का दत्तक पिता श्योनाथ पुत्र परता काबिज मालिक व स्वामी होकर बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा था। वादी श्योनाथ पुत्र परता का दत्तक पुत्र है। वादी के हक में गोदलेख भी उक्त दत्तक पिता श्योनाथ ने दिनांक 09.02.2002 को ही पंजीबद्ध करा दिया गया था इस प्रकार उक्त संपदा पर वादी वरवक्त क्रय लेख ही उक्त संपदा पर अपने दत्तक पिता के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा हैं। उक्त विक्रय लेख का अमल भी जरिए नामान्तकरण दिनांक 20.10.2009 को हो गया था। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 आपस में एक ही परिवार से रहे हैं व आपस में विश्वासपूर्ण संबंध रहे हैं। इसी कारण आपस में किसी प्रकार का विवाद व बदनियति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुयी है। इसी कारण वादी द्वारा पूर्व में वर्णित भूमियों के रिकार्ड आदि की कोई खोजबीन या जांच पड़ताल आदि पूर्व में नही की गयी थी व पूर्व में हुये गोदलेख की प्रति तात्कालीन पटवारी को दे दी गयी थी व पटवारी द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि आपके गोदलेख के अनुसार खातेदारी का अंकन आपके हक में कर दिया जावेगा। इसी भरोसे पर वादी पूर्णतया आश्वस्त रहा हैं। वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 19.10.2022 में पटवारी हल्का से किसान विकास पत्र बनाने हेतु कहा उन्होंने रिकार्ड देखकर बताया कि आपके एक भूमि तो नाम हो चुकी है परन्तु उक्त वर्णित भूमि में आपका नाम दर्ज नहीं है। बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम ही दर्ज है। इस पर वादी द्वारा रिकार्ड नवीन व पुराने की नकल आदि प्राप्त करने पर वादी को उक्त गलत रिकार्ड की जानकारी हुयी है। उक्त वर्णित भूमियों को खरीद करने के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत या मदाखलत नहीं की गयी है। वादी क्रय लेख के अनुसार वादपत्र में वर्णित भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का विधिक अधिकारी है। दिनांक 19.10.2022 को पटवारी हल्का से किसान विकास पत्र बनाने हेतु कहा उन्होंने रिकार्ड देखकर बताया कि आपके एक भूमि तो नाम हो चुकी है परन्तु उक्त वर्णित भूमि में आपका नाम दर्ज नहीं है। बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम ही दर्ज है। इस पर वादी द्वारा रिकार्ड नवीन व पुराने की नकल आदि प्राप्त करने पर वादी को उक्त गलत रिकार्ड की जानकारी होने वादी ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने न्यायालय में वाद दायर कर ही नाम दर्ज होने बाबत कहने से यही बिनाया दावा पैदा होकर लगातार हो रहा है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि उद्घोषणा इस अमर का फरमायी जावे कि तन ग्राम अजमेरी पटवारी हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 919/684 रकबा 4.3349 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज हिस्सा 9500/43349 में से आधा हिस्सा अर्थात 4750/43349 व खसरा नम्बर 685 रकबा 0.03 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा 95/472 में से आधा हिस्सा अर्थात 95/944 हिस्से का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के उपरोक्त हिस्सो से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जरिए डिक्री किऐ जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। उक्त उद्घोषणा एवं स्थायी निषधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

हायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या–'1 की पहचान श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने की। उपस्थित पक्षकार को राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है, बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी पप्पूराम दत्तक पुत्र श्योनाथ का व साक्ष्य गवाहन में ग्यारसीलाल पुत्र जवाहरलाल व औमप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद के लिखितशुदा शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में पेश किये। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा कर दिए जाने व साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, जमाबंदी सम्वत् 2074–2079, भू–प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी खतौनी 2067–2070, जमाबंदी खतौनी 2071–2074, जमाबंदी खतौनी 2074–2079, बैनामा दिनांक 09.10.2002, मोटेशन दिनांक 09.10.2002, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादीगण व गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 919/684 रकबा 4.3349 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज हिस्सा 9500/43349 में से आधा हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(सीकर)

अर्थात 4750/43349 व खसरा नम्बर 685 रकबा 0.03 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा 95/472 मे से आधा हिस्सा अर्थात 95/944 हिस्सा के नाम दर्ज जमाबन्दी व बैनामा व गोदलेख के अनुसार खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 574 रकबा 4.75 हैक्टर व खसरा नम्बर 573 रकबा 3.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.14 हैक्टर तन ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का हिस्सा 89/203 दर हिस्सा 1/4 हिस्सा का रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 09.02.2002 को वादी के दत्तक पिता श्योनाथ पुत्र नारायण के हक में पंजीबद्ध करा दिया जाना व वादी के हक में गोदलेख भी उक्त दत्तक पिता श्योनाथ ने दिनांक 09.02.2002 को ही पंजीबद्ध करा दिया जाना स्पष्ट होता है। विक्रय लेख दिनांक 09.02.2002 का अमल भी नामांतरण दिनांक 20.10.2009 को हो जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा कर दिए जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रतिवादी का उक्तानुसार हिस्से पर कोई कब्जा इत्यादि नहीं है तथा उक्त भूमि पर वादी ही काबिज है तथा इस बाबत प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक करवाया है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी पप्पूराम दत्तक पुत्र श्योनाथ व साक्ष्य गवाहान् में ग्यारसीलाल पुत्र जवाहरमल व ओमप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद के के लिखितशुदा शपथ पत्रो से वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण [illegible] को वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है कि [illegible] भूमि खसरा नम्बर 919/684 रकबा 4.3349 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज हिस्सा 9500/43349 में से आधा हिस्सा अर्थात 4750/43349 व खसरा नम्बर 685 रकबा 0.03 हैक्टर में प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा 95/472 मे से आधा हिस्सा अर्थात 95/944 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के उपरोक्त हिस्से से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं शेष रिकॉर्ड यथावत रहने दिया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested